# अदालत :– न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सराडा जिला उदयपुर (राज0)

द्वारा :– नीलम लखारा (RAS)

संख्या 03/2019 प्रार्थना पत्र

प्रार्थना पत्र दायर दिनांक 08/01/2019
फैसल दिनांक 11/02/2019

## निर्णय

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज.भू–राजस्व अधिनियम बाबत् इन्द्राज दुरस्ती कराये जाने बाबत्

श्री पुनमचन्द पिता लाला मीणा, उम्र वयस्क निवासी पाराई, तहसील सराडा जिला उदयपुर (राज0)

––– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सराडा, जिला उदयपुर राजस्थान

––– विपक्षी

प्रकरण मे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विपक्षी के विरूद्ध इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिनके तथ्य इस प्रकार है कि मौजा पाराई पटवार हल्का खरबर तहसील सराडा जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 1445 रकबा 0.01 हैक्टयर भूमि स्थित है। जो प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर उक्त आराजी का पूर्व का रकबा 0.03 हैक्टयर था। प्रार्थी ने सक्षम प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर द्वारा आराजी नम्बर 1445 रकबा 0.03 हैक्टयर भूमि को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ जरिये आदेश दिनांक 30/01/2001 को उक्त भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ मे सम्परिवर्तन कराई है जिससे प्रार्थी के पक्ष मे उक्त आदेश के तहत नामान्तरणकरण संख्या 120 दिनांक 09/02/2001 स्वीकृत होकर राजस्व रेकार्ड मे उक्त भूमि किस्म वाणिज्यिक रुप मे दर्ज हुई। प्रार्थी उक्त भूमि का वाणिज्यिक रुप मे उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। आराजी नम्बर 1445 रकबा 0.03 हैक्टयर भूमि किस्म वाणिज्यिक मे से 0.02 हैक्टयर भूमि भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण सडक परिवहन एवं राज मार्ग नई दिल्ली NH8 मे अवाप्त की गई। जो जरिये नामान्तरणकरण संख्या 165 दिनांक 17/04/2004 से भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग नई दिल्ली NH8 के नाम पर दर्ज हुई है उक्त आराजी

Neelam
उपखण्ड अधिकारी
सराडा, जिला उदयपुर

[illegible] रकबा 0.03 हैक्टयर भूमि किस्म वाणिज्यिक मे से 0.02 हैक्टयर भूमि [illegible] राज मार्ग प्राधिकरण सडक परिवहन राज मार्ग नई दिल्ली NH8 मे [illegible] के उपरान्त उक्त आराजी का शेष रकबा 0.01 हैक्टयर भूमि बदस्तुर [illegible] नाम पर रहकर किस्म वाणिज्यिक होना चाहिए था लेकिन राजस्व [illegible] ने घोर लापरवाही करते हुए बिना किसी आदेश व आधार के वादग्रस्त [illegible] नम्बर 1445 का शेष रकबा 0.01 हैक्टयर भूमि कि किस्म वाणिज्यिक नही [illegible] हुए अपनी मर्जी से उक्त आराजी का शेष रकबा 0.01 हैक्टयर भूमि का किस्म [illegible] उद्योग अंकित कर दिया है जो बिना किसी अधिकार के होकर गलत है जो [illegible] होने योग्य है जिसका प्रार्थी उक्त भूमि कि किस्म वाणिज्यिक कामय कराने का प्रार्थी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया विपक्षी को जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। विपक्षी ने अपना लिखित जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया साथ ही हल्का पटवारी मौका रिपोर्ट भी पेश की गयी जो सामील पत्रावली किया गया। विपक्षी द्वारा पेश लिखित जवाब प्रार्थना पत्र एवं हल्का पटवारी द्वारा पेश मौका रिपोर्ट मे उक्त वादग्रस्त आराजी नम्बर 1445 रकबा 0.01 हैक्टयर भूमि की किस्म लघु उद्योग के बजाय किस्म वाणिज्यिक किया जाना उचित माना है।

पत्रावली बहस मे नियत होकर उपय पक्षो की बहस सुनी गई। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 तक व संवत् 2065 से 2068 संवत् 2061 से 2064 संवत् 2057 से 2060 नामान्तरणकरण संख्या 120 व विपक्षी का जवाब मय मौका रिपोर्ट का गहन अवलोकन व मनन किया गया। जिससे प्रतित होता है आराजी नम्बर 1445 रकबा 0.01 हैक्टयर भूमि कि किस्म उघु उद्योग दर्ज कर दी है जो बिना किसी आदेश व आधार के दर्ज की है जिसके पक्ष मे विपक्षी द्वारा कोई किस्म परिवर्तन बाबत् आदेश की नकल पेश नही की है। वरण विपक्षी ने अपने जवाब मे उक्त आराजी कि किस्म लघु उद्योग के बजाय वाणिज्यिक किया जाना उचित माना है।

मेरे विनम्र राय मे प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना योग्य हैं

Neelam

उपखण्ड अधिकारी
[illegible], जिला उदयपुर

## आदेश

मौजा पाराई पटवार हल्का खरबर तहसील सराडा जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 1445 रकबा 0.01 हैक्टयर भूमि की किस्म लघु उद्योग के बजाय किस्म वाणिज्यिक किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे आज दिनांक 11/02/2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे द्वारा सुनाया गया।

तहसीलदार सराडा को आदेशित किया जाता है कि मौजा पाराई पटवार हल्का खरबर के आराजी नम्बर 1445' रकबा 0.01 हैक्टयर भूमि कि किस्म वाणिज्यिक राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामत कर इस न्यायालय को अतिशीघ्र अवगत कराये।

Neelam
उपखण्ड अधिकारी
सराड़ा, जिला उदयपुर
सराडा